राजस्थान सरकार

# कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

क्रमांक/न्याय/2017/6350 उदयपुर दिनांक 13.07.2018

—::आदेश::—

जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ने उनके पत्र दिनांक 11.07.2018 से उदयपुर जिले में दिनांक 14.07.2018 व 15.07.2018 को आयोजित होने वाली "राजस्थान पुलिस कांनिस्टेबल भर्ती परीक्षा" में संगठित गिरोह द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से नकल कराये जाने की संभावना होने से कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं नकल नियंत्रण हेतु परीक्षा केन्द्र के क्षेत्र उदयपुर शहर, डबोक, देबारी एवं उमरडा में इन्टरनेट सेवा बन्द किये जाने की सिफारिश की है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता उक्त सिफारिश से संतुष्ठ है कि "राजस्थान पुलिस कांनिस्टेबल भर्ती परीक्षा" में इन्टरनेट सेवा का प्रयोग करके नकल के अपराध को प्रोत्साहन मिलने की पूर्ण संभावना है।

अतः गृह विभाग (ग्रूप–9) के आदेश क्रमांक/ 35(1) (Home-9)/2006 Pt. जयपुर दिनांक 02.09.2017 से दूरसंचार अस्थायी सेवा निलम्बन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम–2017 के नियम 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्न हस्ताक्षरकर्ता **दिनांक 14.07.2018 एवं 15.07.2018 को प्रतिदिन प्रातः 08:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक के लिये उदयपुर जिले के क्षेत्र उदयपुर शहर, डबोक, देबारी एवं उमरडा में इन्टरनेट सेवा (लीज लाईन को छोड़कर) को निलम्बित किया जाता है।**

मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(भवानी सिंह देथा)
**संभागीय आयुक्त, उदयपुर**

क्रमांक/न्याय/2017/6350 उदयपुर दिनांक 13.07.2018

**प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।**

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर को उपरोक्त आदेश की पुष्टि हेतु।
2. श्रीमान अति. मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर को उपरोक्त आदेश की पुष्टि हेतु।
3. महानिरीक्षक, पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट ......................................................., राजस्थान।
6. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश सम्बन्धित समस्त पुलिस अधिकारियों तथा जिले के नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनीज़ को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला उदयपुर ..................................................................।
8. समस्त पुलिस उप अधीक्षक........................................................ जिला उदयपुर।
9. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर।
10. समस्त थानाधिकारी ........................................ जिला उदयपुर।
11. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायन्स, जिओ को पालनार्थ (द्वारा पुलिस अधीक्षक उदयपुर)।
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील कार्यालय पर चस्पा हेतु।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर।

**संभागीय आयुक्त, उदयपुर**